दैनिक
न्याय साक्षी

शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता अंतर्गत संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में रायगढ़ जिले के खिलाडि़यों का उत्कृष्ट प्रदर्शन

रायगढ़। सत्र 2022-23 की शालेय क्रीडा प्रतियोगिता की शुरूआत हो चुकी है। अभी तक इस सत्र में हुई संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं में रायगढ़ जिले के खिलाडि़यों का प्रदर्शन एवं परिणाम उत्साहवर्धक रहा है जिसके लिए खिलाडी एवं उनके शिक्षक/प्रशिक्षक बधाई के पात्र है। इस सत्र में संभाग स्तरीय प्रतियोगिता की शुरूआत 22 जुलाई 2022 बिलासपुर में आयोजित प्रतियोगिता से हुई। जिसमें डॉजबाल बालक 17 वर्ष में खिलाड़ी उपविजेता एवं सुब्रतो कप फटबॉल 14 एवं 17वर्ष बालक में विजेता रहते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की योग्यता प्राप्त की। सुब्रतो कप फुटबॉल 14 एवं 17 वर्ष बालक की टीम के समस्त खिलाड़ी ओ.पी.जिन्दल स्कूल रायगढ़ के हैं, जिनकी सफलता में उनके कोच सकरिया वर्गीस का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी तरह 30 जुलाई 2022 को बिलासपुर में संभाग स्तरीय प्रतियोगिता अंतर्गत योगा, तैराकी एवं वाटरपोलो के खिलाड़ी सम्मिलित हुए जिसमें वाटरपोलो और योगा में खिलाड़ी उच्चकोटी का प्रदर्शन करते हुए योगा में संभागीय दल के 42 खिलाडि़यो में से 24 खिलाड़ी रायगढ़ जिले के रहे। विशेष कर वाटरपोलो के खिलाडि़यों ने शानदार प्रदर्शन किया, कोरोना काल और अन्य अपरिहार्य कारणों से विगत तीन वर्षो से स्वीमिंग पूल बंद था जिससे खिलाड़ी अभ्यास नहीं कर पा रहे थे। जिला कलेक्टर के प्रयास से स्वीमिंग पूल पुन: प्रारंभ हुआ और कोच सम्मी पुरसेठ एवं स्टेडियम प्रभारी विजय कुमार चौहान के अथक प्रयास से वाटरपोलो की टीम तैयार कर प्रशिक्षित की गई और टीम ने संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में उपविजेता होने का गौरव प्राप्त किया।

02 अगस्त 2022 को संभाग स्तरीय प्रतियोगिता कोरबा में आयोजित की गई जिसमें नेहरू कप हॉकी में रायगढ़ जिले के लिये हॉकी 15 एवं 17 वर्ष बालक एवं 17 वर्ष बालिका में ओ.पी.जिन्दल स्कूल रायगढ़ की टीम ने भाग लेकर विजेता होने का गौरव हासिल कर राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता जशपुर के लिये क्वालिफाई किया। इन खिलाडि़यों की सफलता में खिलाडि़यों की कठोर परिश्रम के साथ उनके कोच जितेन्द्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

04 अगस्त 2022 को संभाग स्तरीय प्रतियोगिता पुन: कोरबा में आयोजित की गई जिसके अंतर्गत टग ऑफ वार की प्रतियोगिता संपन्न हुई जिसमें बालिका 19 वर्ष एवं बालक 17 वर्ष में जिले के खिलाड़ी उपविजेता रहे। इसके पश्चात 08 एवं 10 अगस्त 2022 को पुन: संभाग स्तरीय प्रतियोगिता अंतर्गत बैडमिंटन 14,17,19 वर्ष बालक/बालिका, बॉक्सिंग 17,19 वर्ष बालक, सायकल पोलो 19 वर्ष बालक/बालिका, फ्लोरबॉल 17,19 वर्ष क्रिकेट 14 वर्ष बालक, हॉकी 19 वर्ष बालक, कबड्डी 14,17,19 वर्ष बालक/बालिका का आयोजन हुआ जिसमें रायगढ़ जिले के खिलाडि़यों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बैडमिंटन 14 एवं 19 वर्ष बालिका, 17 वर्ष बालक 19 वर्ष हॉकी बालक, सायकल पोलो19 वर्ष बालक/बालिका एवं बॉक्सिंग के विभिन्न भार वर्गों में विजेता एवं कबड्डी 17 वर्ष बालक, फ्लोरबॉल 17,19 वर्ष बालक/बालिका में उपविजेता होने का सौभाग्य प्राप्त किया। बैडमिंटन खिलाडि़यों की सफलता में उनके कोच राजेश यादव और जिले के बैडमिंटन अकादमी के कोच अकरम खान एवं सौरभ पण्डा की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

इस सत्र के जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जिले के टीम चयन करने में हमारे चयनकर्ता/व्यायाम शिक्षक अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए एक शानदार टीम तैयार की जिसका परिणाम अभी तक गत वर्षो की तुलना में शानदार रहा है। इस सत्र हमारे चयनकर्ता चन्द्रमणी गुप्ता, जीतेश्वर प्रधान, मनोहर यादव, विनीता पाणी, ऐलिजा टोप्पो, अभिषेक गुप्ता, आबीद साबरी, संजय शुक्ला, अनूप टोप्पो, किशन चौधरी, देव अवतार चौधरी, सरोजनी यादव सुबल प्रधान एवं ठाकुर प्रसाद गुप्ता आदि रहे है। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाडि़यों को सम्मिलित कराने के लिए उनके दस्तावेजों को संधारित कर प्रविष्टि सूची तैयार करने के दायित्व को के.के.देवांगन ने बखूबी अंजाम दिया।

सभी खिलाडि़यों एवं उनके प्रशिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग रायगढ़ की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी. आदित्य, के.के स्वर्णकार सहा.संचालक, सुश्री टी.एक्का सहा.संचालक एवं दीप्ति अग्रवाल सहायक संचालक ने बधाई देते हुए आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी और अधिक उत्साह से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उक्त जानकारी प्रभारी सहा. जिला क्रीड़ा अधिकारी जीवन लाल नायक ने दी।

बाढ़ में फं से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया नगर सेना बाढ़ बचाव दल ने

रायगढ़। रायगढ़ जिला अंतर्गत पुसौर, सरिया क्षेत्र में महानदी के तटीय बसे ग्रामों में बाढ़ का पानी भर जाने से कई गांव प्रभावित हुए, जिसमें बाढ़ में फंसे लोगों को नगर सेना बाढ़ बचाव दल द्वारा रेस्क्यू कार्य कर मोटर बोट के द्वारा गांव से बाहर बने अस्थायी राहत शिविर तक पहुंचाया गया। ज्ञात हो कि बीते दिनों 17 अगस्त 2022 को सरिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रानीडीह के रंजू प्रधान पति छबि प्रधान, पुत्र मयंक प्रधान, ओमप्रकाश प्रधान का अत्यधिक तबीयत खराब होने से नगर सेना बाढ़ बचाव दल द्वारा रेस्क्यू किया जाकर मोटर बोट के सहारे पूरे परिवार को प्राथमिक चिकित्सा हेतु परसरामपुर रोड तक पहुंचाया गया है जिन्हें वाहन व्यवस्था कर सरिया स्वास्थ्य केन्द्र भेजा गया।

नगर सेना बाढ़ बचाव दल में ब्लासियुस कुजूर जिला सेनानी बाढ़ आपदा प्रभारी, सुरेश कुमार होता सीएचएम, संतोष पण्डा, तिजराम निषाद, ओमकुमार नायक, नारायण सिदार, मोहित राम, विजय साहू, जयमंगल लहरे, सम्मे सिंह, दिनेश होता, चैतन सिंह, संजय कुमार, अरूण कुमार, मुन्ना लाल, दशी लाल, महेन्द्र गुप्ता, प्रकाश मिरा, जगबंधु एक्का, कन्हैया चौहान, फिरूलाल, समेलाल, तरूण पाण्डे, संतराम, पिलेश्वर सिदार, हरिशंकर, संग्राम सिंह, विजय दास, जगदीश चौहान, सुज्ञान भुषण एवं कुलदीप लकड़ा शामिल थे।

50 लाख रूपए की ठगी की शिकायत लेकर सिटी कोतवाली पहुंचा ठेकेदार

❒ समय रहते ठेकेदार का बैंक खाता कराया गया होल्ड, एक बड़े आर्थिक क्षति से बचा ठेकेदार

❒ धोखाधड़ी और गबन के आरोपी के घर थाना प्रभारी कोतवाली की दबिश आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। शिकायतकर्ता/पीड़ित अभिषेक अग्रवाल निवासी अटल बिहार कोतरारोड़ द्वारा धोखाधड़ी, गबन के संबंध में प्रेषित किया गया शिकायत पत्र दिनांक 12.08.2022 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से थाना प्रभारी कोतवाली रायगढ़ को जांच के लिये भेजा गया। शिकायत जांच दौरान थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर शिकायतकर्ता/पीड़ित अभिषेक अग्रवाल से पूछताछ कर धोखाधड़ी के संबंध में विस्तृत जानकारी लिया गया, साथ ही साथ पीड़ित के वर्तमान में संचालित अलग-अलग तीन बैंक खातों को होल्ड कराया गया जिससे पीड़ित के खाते से अन्य खाते में ट्रांसफर हुआ 50 लाख रूपये होल्ड हो गया। मामले की जांच में अनावेदक रोहन शर्मा निवासी गोकूल धाम रायगढ़ द्वारा बगैर जानकारी शिकायतकर्ता/पीड़ित अभिषेक अग्रवाल के खाते से 50 लाख रूपये अपने खाते में धोखाधड़ी कर प्राप्त करना पाये जाने पर आरोपी रोहन शर्मा के विरूद्ध धारा 420, 409 IPC का अपराध कल दिनांक 17.08.2022 को दर्ज कर आरोपी के घर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया जिसे आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता अभिषेक अग्रवाल पिता विष्णु अग्रवाल (उम्र 31 वर्ष) निवासी अटल बिहार कोतरारोड रायगढ़ बताये कि ठेकेदार है। रोहन शर्मा इनसे ठेकेदारी का काम सिखने के इरादे से जुड़ा। धीरे-धीरे विश्वास प्राप्त करने के बाद रोहन को बैंक में रूपये जमा करने का काम भी दिया करता था, अभिषेक अग्रवाल काम के सिलसिले में अपना साइन किया हुआ चेक रोशन को दिया था कि आवश्यकता अनुसार बैंक में लगावे। कुछ दिनों पहले अभिषेक, रोहन को चेक के संबंध में पूछा तो रोहन दिये हुये सारे चेक खत्म हो जाना बताया। दिनांक 03.08.2022 को अभिषेक के खाते से रोहन के खाते में 50 लाख रूपये ट्रांसफर होने की जानकारी मिला। तब अचंभित हो गया कि रूपये ट्रांसफर होने का बैंक से कैसे कोई मैसेज नहीं आया था। जब अभिषेक, रोहन को कॉल कर रूपयों के ट्रांसफर के संबंध में पूछा तो रोहन बाहर हूं, आकर बात करता हूं कहकर कॉल काट दिया। अभिषेक के शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस आरोपी रोहन शर्मा पिता दिनदयाल शर्मा उम्र 28 वर्ष साकिन गोकूल धाम थाना कोतवाली रायगढ़ को धोखाधड़ी, गबन के आरोप में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर, उप निरीक्षक बी.एस. डहरिया, आर.एस.तिवारी, प्रधान आरक्षक श्यमदेव साहू, श्रीराम साहू की अहम भूमिका रही है।

लैलूंगा क्षेत्र में सिलसिलेवार चोरियों को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार

❒ चोरी किये सोने के जेवरात को पिघला कर बेचने के था जुगत में था आरोपी, आया लैलूंगा पुलिस के हाथ

❒ आरोपी अपने पांच साथियों के साथ मिलकर किया था चोरी, लैलूंगा पुलिस पूर्व में बाल अपचारियों को भेजा गया है किशोर बोर्ड न्यायालय

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर #लैलूंगा पुलिस द्वारा चोरी की वारदात के फरार आरोपी मुनमुन भगत निवासी हाईस्कूलपारा लैलूंगा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी द्वारा पिघलाकर रखा हुआ 11 ग्राम सोना की जप्ती किया गया है। पुलिस आरोपी मुनमुन भगत के साथी विधि के साथ संघर्षरत बालकों को पूर्व में बाल किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है। आरोपी पूर्व में भी कई चोरियों में शामिल रहा है।

दिनांक 21.06.2022 को चोरी के संबंध में रिपोर्टकर्ता रोहित कुमार पैंकरा पिता बलराम पैंकरा उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम भेलवाटोली थाना लैलूंगा में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था रिपोर्टकर्ता बताया कि ग्राम पंचायत पाकरगांव में पंचायत सचिव है तथा लैलूंगा वार्ड क्रमांक 04 इमलीपारा में मकान बनाकर परिवार सहित रहता है। दिनांक 20/06/2022 को रात करीब 08/00 बजे परिवार सहित परिवारिक मीटिंग के लिए ससुराल ग्राम गमेकेला गया था रात्रि करीब 02/15 बजे वापस घर आये तो देखे, घर का दरवाजा का ताला टुटा हुआ था दरवाजा आधा खुला हुआ था। घर के अंदर अलमारी में रखे सोना, चांदी, साउण्ड वुफर,मोबाईल चार्जर, नगदी रकम 40,000 रूपये कुल जुमला रकम 77,000 रूपये को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था। चोरी के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध नकबजनी का अपराध पंजीबद्ध कर लैलूंगा पुलिस माल मुल्जिम के पतासाजी दौरान दिनांक 04.07.2022 को संदेही अपचारी बालक को हिरासत में लिया गया, काफी पूछताछ बाद संदेही कबूल कर बताया कि मुनमुन भगत हाईस्कूलपारा लैलूंगा व 4 अन्य लड़कों के साथ मिलकर दिनांक 20/06/2022 की रात चोरी करने इमलीपारा के मकान में घुसे थे। मकान के अलमारी को रॉड से तोड़कर एक काले रंग का बैग जिसमें सोना-चांदी था उसे और नकदी रकम को चोरी किये थे, बटवारा में 10,000 रूपये मिला था जिसमें 8 हजार रूपये खर्च हो गया है। अपचारी बालक से 2 हजार रूपये नकद की जप्ती कर नकबजनी के आरोप में किशोर न्यायालय पेश किया गया। अन्य फरार आरोपी पतासाजी दौरान पुलिस द्वारा दिनांक 13.08.2022 को एक और विधि के साथ संघर्षरत अपचारी बालक को हिरासत में लिया गया जिसने बटवारे में मिला 10,000 रूपये खर्च कर देना बताया और चोरी में मिले सोने-चांदी के जेवरातों को मुनमुन और एक लड़के द्वारा अपने पास रखना बताया, विधि के साथ संघर्षरत बालक को बाल किशोर न्यायालय पेश किया गया।

थाना प्रभारी लैलूंगा के निर्देशन पर पुलिस की एक टीम मुखबिर लगाकर फरार आरोपियों की पर निगाह रखे हुई थी कि दिनांक 17.08.2022 को आरोपी मुनमुन भगत को लैलूंगा में घूमते हुए स्टाफ हिरासत में लिया गया। आरोपी मुनमुन भगत अपने हिस्से के सोने के जेवर को पिघलाकर घर में रखना स्वीकार किया। आरोपी के पास से पिघला हुआ 11 ग्राम सोना कीमती रु.55,000 व सोना गलाने का कटोरीनुमा कच्चा लोहे का औजार जप्त कर आरोपी मुनमुन भगत पिता मोहर साय भगत उम्र 23 वर्ष निवासी हाईस्कूल पारा लैलूंगा थाना लैलूंगा को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी की गिरफ्तारी व माल बरामदगी में थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम, सहायक उपनिरीक्षक चंदन सिंह नेताम, प्रधान आरक्षक भूखला राम, सुमेश गोस्वामी, रामरतन भगत, आरक्षक जॉन टोप्पो, राजू तिग्गा की सराहनीय भूमिका रही है।

कलेक्टोरेट के अधिकारियों-कर्मचारियों ने ली सद्भावना की शपथ

रायगढ़। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व.राजीव गांधी के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा द्वारा कलेक्टोरेट परिसर में सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को सद्भावना की शपथ दिलाई गई। कलेक्टोरेट के विभिन्न विभागों और शाखाओं में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों ने जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म और भाषा का भेदभाव किये बिना भावनात्मक एकता और सद्भावना पूर्वक कार्य करने तथा हिंसा का सहारा लिये बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यम से सुलझाने की शपथ ली। इस मौके पर डिप्टी कलेक्टर एस.के.कंवर, प्रभारी उप संचालक समाज कल्याण जगजीवन राम जांगड़े, सहायक अधीक्षक राजेश कुमार मेहरा, सहित सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

पत्नी की गला दबाकर हत्या, अपराध छिपाने आरोपी ने बताया तालाब में डूबकर हुई मौत

❒ आकस्मिक मौत की सूक्ष्मता से जांच पर हुआ घटना का खुलासा, खाना बनाने में हुई देरी पर किया था हत्या

❒ लैलूंगा पुलिस ने हत्या और साक्ष्य छिपाने के अपराध में आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़। थाना लैलूंगा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तोलमा टोंगरीपारा निवासी बीरसाय लकड़ा पिता गुला लकडा उम्र 38 साल दिनांक 14/08/2022 को उसकी पत्नी जोत्सना लकड़ा (उम्र 35 साल) के डबरी तालाब में डूबकर फौत होने की रिपोर्ट दर्ज कराया था। लैलूंगा पुलिस मामले में मर्ग कायम कर शव का पंचनामा कर पी.एम कराया गया। मर्ग जांच दौरान मृतिका के वारिसान और घटना के सूचनाकर्ता मृतिका के पति के बातों में विरोधाभाषी तथ्य सामने आये। एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के सुपरविजन में #लैलूंगा पुलिस मर्ग की सूक्ष्मता से जांच किया गया जिसमें आरोपी बीर साय लड़का द्वारा ही पत्नी की हत्या कर जांच में पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से मनगंढत कहानी बनाना पाया गया, आरोपी को हत्या और साक्ष्य छिपाने के जुर्म में #लैलूंगा पुलिस गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

मर्ग जांच दौरान पूछताछ में बीरसाय बताया कि इसकी पत्नी जोत्सना लकडा दिनांक 13/08/2022 के दोपहर करीब 03/00 बजे नहाने डबरी तालाब में गई थी, शाम करीब 04/00 बजे तक वापस घर नहीं आने पर डबरी तालाब तरफ खोजने गया तो देखा कि जोत्सना डबरी तालाब के पानी में उफली पडी तैरते मिली जो फौत हो चुकी थी। घर आकर मृतिका की बहन को जोत्सना के तालाब में डूबकर फौत होने की बात बताया था।

मर्ग जांच दौरान मृतिका की बहन से पूछताछ में जानकारी मिला कि वे मृतिका को तालाब में नहाते देखे थे और तालाब तरफ बीरसाय भी गया था जो कुछ देर बाद आकर स्वयं जोत्सना के डूबकर मरने की जानकारी दिया। पुलिस पीएमकर्ता डॉक्टर से मृतिका के शव का शार्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया गया जिसमें गला को दबाने से गले की हड्डी टुटना मृत्यु की प्रकृति "हत्यात्मक" होना बताया गया। बीरसाय को जब पुलिस की टीम अलग–अलग तरीकों से पूछताछ करने लगी तो बीरसाय गांव के कुछ लोगों से रंजिश होना और उन्हीं के द्वारा उसकी पत्नी की हत्या कर तालाब में फेंक देने की मनगंढत कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। पुलिस बीरसाय से तालाब में उसकी मौजूदगी के संबंध में कड़ी पूछताछ किया गया जिस पर बीरसाय तालाब के पास आकर उसकी पत्नी का गला दबाना और तालाब के लकडी के पट्टरा में टकाकर हत्या करना स्वीकार करते हुए घटना का वृत्तांत बताया।

घटना के संबंध में आरोपी बीरसाय लकड़ा (उम्र 38 साल) बताया कि दिनांक 13.08.2022 को सुबह खेत से काम कर दोपहर करीब 02:00 बजे घर वापस आया। तब जोत्सना खाट में सोई थी जिसे खाना बनाई है पूछने पर नहीं बनाई हूं बोली तो एक थप्पड़ मारा जिसके बाद जोत्सना कपड़ा, बाल्टी पकड़कर डबरी तालाब नहाने चली गई। कुछ देर बाद तालाब गया जहां जोत्सना कपड़े धो रही थी। उसी वक्त खाना बनाने में देरी की बात को लेकर उसका गला दबाकर तालाब घाट में नहाने का लकड़ी पटरा पर उसके सिर को टकराकर उसकी हत्या कर दिया और जोत्सना के पहने कपड़ों को उतारकर उसके शव और कपड़ो को तालाब में फेंक दिया और वापस गांव आकर जोत्सना के तालाब में डूब जाने की घटना बताया। आरोपी के मेमोरेंडम के बाद पुलिस गोताखोरों की सहायता से तालाब के गहरे पानी से मृतिका के कपड़े बरामद किया गया है। घटना में आरोपी बीरसाय लकड़ा द्वारा हत्या कर साक्ष्य छिपाना पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। घटना के खुलासे में थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम, सहायक उपनिरीक्षक चंदन सिंह नेताम, प्रधान आरक्षक भोखला राम, सुमेश गोस्वामी, रामरतन भगत, आरक्षक जॉन टोप्पो, राजू तिग्गा की सराहनीय भूमिका रही है।

महत्वपूर्ण एवं खास

शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। पुसौर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत कौवाताल, केसला एवं छिछोरउमरिया में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। दुकान संचालन करने के इच्छुक सहकारी सोसायटियां/महिला स्व-सहायता समूह, ग्राम पंचायत, अन्य उपभोक्ता सोसायटी 15 दिवस तक कार्यालयीन समयावधि में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ में आवेदन कर सकते है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

19 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित

रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी)विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत कृष्ण जन्माष्टमी 19 अगस्त 2022 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर रायगढ़ द्वारा उक्त शुष्क दिवस पर जिले की समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ), कम्पोजिट मदिरा (सी.एस.-2 घघ), विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घघ एवं एफ.एल.-3 होटल बार)दुकान तथा भण्डारण भाण्डागार को पूर्ण रूप से बंद रखे जाने हेतु आदेश जारी किया है।

वनटाईम सेटलमेंट योजना: कर जमा नहीं करने वाले वाहन स्वामियों से होगी वसूली

रायगढ़। छ.ग.शासन परिवहन विभाग द्वारा वन टाईम सेटलमेंट योजना के तहत अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2018 तक के बकाया वाहनों के ब्याज में छूट की योजना है। जिसमें परिवहन विभाग रायगढ़ द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार कर वसूली की कार्यवाही की जानी है। बकायादारों को नोटिस एवं संपर्क कर अधिकाधिक वसूली हेतु प्रयास किया जा रहा है। ऐसी सभी बकाया वाहन स्वामियों को सूचित किया गया है कि शासन की योजना का अधिक से अधिक लाभ लें। इस योजना की अवधि 31 मार्च 2023 तक है।

तालाब में मछवारे की जल समाधि

कोरबा । अपने हितों के लिए काम करने की बड़ी कीमत कई मौकों पर चुकानी पड़ जाती है। कोरबी के धनुहारपारा में रहने वाले एक मछवारे की जल समाधि इसी चक्कर में गांव के तालाब में हो गई। वह मछली पकडऩे के लिए तालाब गया हुआ था और खुद ही शिकार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम किया है। हरदीबाजार चौकी अंतर्गत ग्राम कोरबी के जगत सागर तालाब में डूबने से एक युवक की जल समाधि हो गई। मृतक का नाम विशंभर धनवार है, जो ग्राम कोरबी के धनवारपारा का निवासी था। बताया जा रहा है कि मृतक मछली पकडऩे के नाम पर अपने घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। दिशा मैदान के लिए लोग तालाब के पास पहुंचे तो उसकी लाश तालाब में तैरते हुए देखा। ग्रामीणों ने तत्काल कोटवार को सूचना दी जिसके बाद पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पानी से बाहर निकाला फिर जरुरी कार्रवाई को पूरा किया।

रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का उपयोग करने वाला संचालक के खिलाफ जुर्म दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। कार श्रृंगार एवं ऑटो मोबाइल का रस्ट्रिर्ड ट्रेडमार्क का उपयोग करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर आजाद चौक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार मारूति बिजनेस पार्क के सामने कार श्रृंगार व ऑटो मोबाइल का व्यापार करने वाला प्रार्थी चदर सिंह सलूजा 56 वर्ष ने थाने में शिकायत किया कि आरोपी जुनेद खान ने प्रार्थी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का उपयोग कर अपना व्यापार कर रहा था। प्रार्थी की शिकायत पर आजाद चौक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कापी राइट एक्ट की धारा 103 ए, 103 बी के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

गांजा बेचने ग्राहक तलाशते युवक गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। कबीरनगर थाना पुलिस कीटीम ने मुखबिर की सूचना पर गांजा बेचने ग्राहक तलाशते एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम गांजा जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार कबीरनगर पुलिस की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि रिंग रोड नंबर स्थित सोनडोंगरी पुलिया के पास एक युवक गांजा बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो आरोपी न अपना नाम दौलत राम सहारे 29 वर्ष निवासी गुढिय़ारी रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों ने उसके पास रखें थैले की तलाशी लेने पर 1 किलो 100 ग्राम गांजा पाया गया। जब्त गांजे की कीमत करीब 10 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 20 बी नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480